न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज खिलारी बनाम काडूराम मु.नं.– 87/24 किस्म – T.I.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के उपरान्त भी इनके द्वारा जवाब प्रा.पत्र T.I. पेश नहीं किया गया है। अतः इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस प्रा.पत्र T.I. हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र T.I. पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 31.7.25 को पेश हो।	
31.7.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर कुल वाद के साथ नत्थी हो।	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
87 / 2024	06.12.2024	31.07.2025

बउनवान

1. खिलारी पुत्र जगन्या, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. बनवारी पुत्र जगन्या, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. काडूराम पुत्र गोकलराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. बनवारी पुत्र गोकलराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. चिरंजी पुत्र गोकलराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री लीलाराम मीना।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 – श्री खेम सिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजी खाता सं. नया 60 पुराना 57 के खसरा सं. 2946/2692 रकबा 1.25 हैक्टे., किस्म बंजड वार्षिक लगानी 2.50 रूपया वाके ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है जिसके प्रार्थीगण तन्हा खातेदार काबिज काश्तकार है। नकल जमाबंदी संवत 2074–2077 वादपत्र के साथ संलग्न है। विवादित आराजी के प्रार्थीगण तन्हा खातेदार काबिज काश्तकार है। विवादित आराजी से अप्रार्थीगण अथवा अन्य किसी दीगर शख्स का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण विवादित आराजी पर काविज होकर बिना किसी विध्न व विरोध के उपयोग उपभोग कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। विवादित आराजी का बतौर मालिक उपयोग उपभोग करने एंव लाभान्वित होने का विधिक अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त है। अप्रार्थीगण अथवा किसी दीगर सख्स को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से मजाहमत पैदा करे किन्तु अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 का भूमि मुतदाविया से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होने के बावजूद अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 जबरन विवादित आराजी पर अवैध रूप से निर्माण करने पर आमादा हैं व विवादित आराजी में मौके की भूमि पर जबरन अवैध रूप से निर्माण करने व विवादित आराजी से प्रार्थीगण को जबरन धनवल व वाहुवल से वेदखल करने पर आमादा हैं और यदि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण को गैर जरूरी किस्म के मुकदमात प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध प्रस्तुत करने पड़ेंगे। दिनांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

21.08.2024 को प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी व उपयोग उपभोग की विवादित आराजी में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 जबरन बल प्रयोग कर मौके पर पत्थर बजरी आदि निर्माण सामग्री डालने व मौके पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो गये। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 से कहा कि यह भूमि हमारे तन्हा कब्जे काश्त व खातेदारी की है, इस पर आपको निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है तो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 व उनके मददगारान नाराज हो गये और प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने पर आमादा हो गये। प्रार्थीगण गरीब व मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का धनबल व बाहुबल में मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3, राजनैतिक प्रभाव, धनबल व बाहुबल वाले व्यक्ति है जो सांठ–गांठ कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो रहे है व ऐलानिया धमकी दे रहे है कि हम निर्माण करके रहेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हो। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 अपने नाजायज मकसदों से बाज नही आ रहे है। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसदो में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी सूरत में सिवाय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी खाता सं. नया 60 पुराना 57 खसरा सं. 2946/2692 में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 3 स्वंय, जरिये अपने मददगारान, परिवारजन, नौकर, ऐजेन्ट किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता या खाम निर्माण करने से प्रार्थीगण को विवादित आराजीयात में प्राप्त विधिक अधिकारो के उपयोग–उपभोग में बाधा व मजाहमत पैदा करने से एवं प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अवैध कार्य करने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित रहे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थीगण ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

4. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजी के प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। वाद पत्र के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजी में पत्थर बजरी डालकर निर्माण कार्य किया जाता है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा। इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

5. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने से, नुकसान पहुंचाने से, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 2946/2692 रकबा 1.25 हैक्टे. के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही वे प्रार्थीगण के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 31.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)